पत्रांक–योजना बजट–45/2015 /प०व०

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक राजगीर (नांलदा) में "जू सफारी" का निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कुल ₹5964.05 लाख (उनसठ करोड़ चौंसठ लाख पाँच हजार ₹) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु मात्र ₹ 300.00 लाख (तीन करोड ₹) की स्वीकृति का प्रस्ताव।

पटना–15, दिनांक–...../08/2015

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य में वन्यजीव तथा प्रकृति संरक्षण हेतु सृजनशील लोक मनोरंजन, जागरूकता तथा ज्ञानवर्धन केन्द्र उपलब्ध कराने तथा राजगीर (नालंदा) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय महत्व एवं ख्याति प्राप्त ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का पर्यटकों को लाभ पहुँचाने हेतु यहाँ प्रकृति पर्यटन की उत्कृष्ट संसाधन बनाकर प्रकृति संरक्षण के हितों एवं लोक चेतना को अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्बल किये जाने एवं राज्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों के वन्य जन्तुओं के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन में सुसंगत रूप से योगदान हेतु पंत वन्यप्राणी आश्रयणी अंतर्गत राजगीर में 191.12 हेक्टेयर क्षेत्रफल में "जू सफारी" का निर्माण/विकास किया जाना है।

2. इस जू सफारी की स्थापना के तहत निम्नांकित संरचनाओं एवं उपकरणों/ सुविधाओं का प्रावधान किया जायेगा :–

1.	(क)	वन्य जंतु सफारी जोन	कुल क्षेत्रफल–147.20 हे०	शेर, बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर–चीतल के लिए पाँच घेरान वाले क्षेत्र
	(ख)	एवियरी तथा बटरफ्लाई पार्क	कुल क्षेत्रफल–20.74 हे०	—
2.		पार्किंग, रिसेप्शेन एंड ओरियेन्टेशन जोन	कुल क्षेत्रफल–22.71 हे०	—
3.		प्रशासनिक एवं प्रबंधन जोन	कुल क्षेत्रफल–8.18 हे०	—
4.		स्काई जोन	—	Pagoda, Watch Tower, Nature Camp, Walking Trail
5.		विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, वेस्ट मैनेजमेंट संरचनाएँ/संसाधन	—	—
6.		आकस्मिकता एवं आपदा प्रबंधन व्यवस्था	—	—
7.		संचार तंत्र आधारित संचालन सुविधाएँ	—	—

इस "**जू सफारी**" की स्थापना कार्य अवधि (2015–16 से 2019–20 तक) पाँच वर्षों की है, जो निम्न प्राक्कलन/अवधि के अनुरूप क्रियांन्वित होगा :–

क्र०	कार्य मद	अवधि	प्राक्कलित राशि
(क)	"**जू सफारी**" का निर्माण एवं विकास कार्य का क्रियान्वयन	वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक।	₹5964.05 लाख
(ख)	वन्य जंतुओं का स्टॉकिंग, अनुरक्षण एवं सफारी का संचालन कार्य	वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2019–20 तक।	₹426.60 लाख अनुमानित वार्षिक व्यय

उपर्युक्त क्रमांक–ख के कार्य संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 46 नियमित एवं 42 बाह्य स्रोत से प्राप्त कुल 88 कर्मियों की आवश्यकता होगी जिसके पद स्वीकृति की कार्रवाई बाद में किया जाना है। उक्त पदों के सृजन एवं स्टॉकिंग, अनुरक्षण पर क्रमांक–ख में अंकित राशि ₹426.60 लाख (चार करोड़ छब्बीस लाख साठ हजार ₹ मात्र) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक व्यय अनुमानित है।

3. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक राजगीर (नांलदा) में "**जू सफारी**" का निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कुल ₹5964.05 लाख (उनसठ करोड़ चौंसठ लाख पाँच हजार ₹) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय हेतु मात्र ₹300.00 लाख (तीन करोड ₹) की इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है कि केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के पश्चात् ही इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।

इस "**जू सफारी**" का निर्माण एवं विकास कार्य निम्नलिखित मदवार प्राक्कलन तथा वर्षवार निर्धारित राशि के अनुरूप किया जाना अनुमानित है :–

क्र०	अवयव	प्राथमिक प्राक्कलन	वर्ष–वार अनुमानित ब्रेक–अप		
			2015–16	2016–17	2017–18
1	पार्किंग जोन	270.19	**300.00**	**3000.00**	**2664.05**
2	रिसेप्शेन एंड ओरियेन्टेशन जोन	393.33			
3	वन्य जंतु सफारी एवियरी तथा बटरफ्लाई पार्क जोन	2900.76			
4	स्काई जोन	129.51			
5	प्रशासनिक एवं प्रबंधन जोन	1373.26			
6	विद्युत–आपूर्ति, जल–आपूर्ति, वेस्ट मैनेजमेंट एवं संचार तंत्र आधारित संचालन सुविधाएँ	699.00			
7	आकस्मिकता एवं आपदा प्रबंधन व्यवस्था	198.00			
	कुल योग	**5964.05**	**300.00**	**3000.00**	**2664.05**

4. यह राशि मुख्य शीर्ष–2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–02–पर्यावरर्णीय वानिकी तथा वन्य जीव, लघु शीर्ष–110–वन्य जीव परिक्षण, माँग संख्या–19, उप शीर्ष–0323–एकीकृत वन्य जीव पर्यावास विकास, विपत्र कोड–P2406021100323 के विषय शीर्ष–2701–लघु कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि से विकलनीय होगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा होगें।

इस शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए मात्र ₹50.00 लाख (पचास लाख ₹) उपबंधित राशि उपलब्ध है। अतएव प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन हेतु इस उप शीर्ष के अन्तर्गत अलग से अपेक्षित राशि का प्रावधान कराये जाने के पश्चात् ही व्यय किया जाएगा।

5. योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.07.2015 की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 268/यो०प्रा० दिनांक 27.07.2015 द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा एवं दिनांक 30.07.2015 को आहूत मंत्री परिषद की बैठक में मद संख्या 14 के रूप में मंत्री परिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

6. प्रारूप में पृ०–12/टि० पर दिनांक–05.08.2015 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

7. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। बजट उपबंध एवं भारत सरकार द्वारा विमुक्ति आदेश के अन्तर्गत उपलब्ध राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।

8. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन के अनुरूप ही योजनाओं को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

10. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण–पत्र संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

11. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा अनुश्रवण की व्यवस्था कराने का दायित्व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना का होगा। आम जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का स्थल पर निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट– 45/2015 2315 **/प०व० पटना–15, दिनांक–**06**/08/2015**

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, बिहार, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/8/15
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव